very less. Post-matric and pre-matric मिलाकर 2,000 भी नहीं है। BCs are not the beggars; they are the shareholders of this country. They want that their share should be given. They are a part and parcel of this country; they are the children of this *bharat mata*. So, I request the Central Government to provide them the financial assistance.

MR. CHAIRMAN: The following Hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the Hon. Member, Shri Ryaga Krishnaiah: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharasthra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra).

श्री प्रकाश चिक बाराईक।

Land Deeds (*Patta*) to Tea garden workers in West Bengal

श्री प्रकाश चिक बाराईक (पश्चिमी बंगाल): सभापति महोदय, my subject is 'Regarding Land Deed (*Patta*) to Tea Garden Workers in West Bengal'. पश्चिमी बंगाल में लम्बे समय से चाय बागान मजदूरों की चली आ रही जो डिमांड थी, उसके लिए राज्य की माननीया मुख्य मंत्री सुश्री ममता बंद्योपाध्याय ने Land Acquisition Act पारित कर दिया कि चाय बागान मजदूरों को जमीन का पट्टा मिले। उनको जमीन का पट्टा दिया जा रहा है, लेकिन Plantation Labour Act, 1951 के तहत कुछ ऐसे नियम हैं, जिनके आधार पर कुछ कम्पनीज़ एवं मैनेजमेंट जमीन का पट्टा देने से इनकार कर रहे हैं। जिन-जिन कम्पनीज़ ने जमीन का पट्टा दिया, वहाँ राज्य की माननीया मुख्य मंत्री सुश्री ममता बंद्योपाध्याय के द्वारा उनको केवल पट्टा ही नहीं, बल्कि जितनी जमीन पर लोग रहते हैं, जहाँ उनका क्वार्टर है, उसका demarcation करके, उसका जो टोटल एरिया है, उसकी जो बाउंडरी है, उस टोटल जमीन को भी श्रमिकों को दिया जा रहा है। जमीन का पट्टा देने के साथ ही साथ, उन गरीब चाय बागान मजदूरों को बंगला आवास योजना के 1,20,000 रुपये भी दिये जा रहे हैं। Approximately 22,000 चाय बागान श्रमिकों को यह सुविधा दी गयी है।

सर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने चाय बागान श्रमिकों के लिए जो उद्यम किया, वह सराहनीय है। 1951 में जो अमेंडमेंट था, PLA के तहत जो एग्रीमेंट था, उसमें लोग दो किस्म के components पाते थे। एक cash component था, जो 250 रुपया है और दूसरा, additional component है। लोग जो अभी HRA नहीं पाते हैं, मेडिकल अलाउंस नहीं पाते हैं, सैनिटेशन की सुविधा नहीं पाते हैं, लेकिन राज्य की माननीया मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक चाय बागान को केन्द्रित करके करीब 44 हॉस्पिटल्स बनाये, जिनमें अब एमबीबीएस डॉक्टर्स की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। चाय मजदूरों के लिए बिना पैसे के पेयजल, बिना पैसे का राशन और बिना पैसे के स्वास्थ्य परिसेवा की व्यवस्था की गयी है, यह सराहनीय है।

महोदय, हम केन्द्र सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि PLA Act, 1951 का जो बिल पारित हुआ, उसको ठीक करे एवं वहाँ जो मालिक एवं चाय बागान का मैनेजमेंट उनको जमीन का पट्टा देने के लिए NOC देना नहीं चाह रहे हैं, उसको ठीक करे। साथ ही साथ उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो 58 साल है, उसको वह 60 साल करे, क्योंकि सरकारी नियम के आधार पर 60 साल में ही रिटायरमेंट होती है। राज्य सरकार हरेक काम कर रही है, लेकिन केन्द्र सरकार को भी गरीब चाय बागान मजदूरों के लिए सोचना पड़ेगा। वहाँ विभिन्न प्रकार की जो समस्याएँ हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रॉब्लम को राज्य की माननीया मुख्य मंत्री जी ने बखूबी देखा है एवं वह अधिकार, जो कि 200 साल पुराना था, उन लोगों को मिला। इसलिए हम माननीया मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए काम किया। ...(**व्यवधान**)... जय हिन्द, जय माँ, माटी, मानुष!

MR. CHAIRMAN: The following Hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the Hon. Member, Shri Prakash Chik Baraik: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

श्री सुशील कुमार मोदी।

Demand to constitute All India Judicial Services in India

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): सभापति महोदय, संविधान की धारा 312 के अन्तर्गत आईएएस, आईपीएस के समान All India Judicial Service के गठन का प्रावधान है। यह प्रावधान District Judge, Joint District Judge और Assistant District Judge की नियुक्तियों से जुड़ा है। अभी ये नियुक्तियाँ State Public Service Commission द्वारा हाई कोर्ट की देखरेख में होती हैं। यूपीएससी जिस प्रकार आईएएस, आईपीएस के लिए centralised परीक्षा लेकर सफल उम्मीदवारों को राज्यों को assign करता है, उसी प्रकार AIJS के माध्यम से ज्युडिशियरी के लिए नियुक्ति की जा सकती है।

महोदय, 1st, 8th and 11th Law Commission ने भी All India Judicial Service की अनुशंसा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवम्बर, 1991 और 24 अगस्त, 1993 को AIJS के पक्ष में निर्णय दिया था।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

नवंबर, 2012 में सेक्रेटरीज़ की कमेटी, 2013 में चीफ मिनिस्टर्स और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मेलन, 2015 में चीफ जस्टिसेज़ के सम्मेलन और 2017 में लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में विचार हुआ, परंतु कुछ हाई कोट्र्स और कुछ राज्य सरकारों की असहमति के कारण मामला रुक